

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या: 2420 / XVII(2)/2010
देहरादून, दिनांक 03 जनवरी 2011

कार्यालय- आदेश

भारत सरकार की राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 एवं राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, 1995 के तहत राज्य की पोषण कार्ययोजना का अनुश्रवण किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में "उत्तराखण्ड राज्य पोषण परिषद" तथा राज्य में कुपोषण की स्थिति की समीक्षा एवं पोषण सम्बन्धी कार्ययोजना के क्रियान्वयन में अन्तर्विभागीय समन्वय की समीक्षा हेतु एतद्वारा निम्नवत् "अन्तर्विभागीय समन्वय समिति" का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उत्तराखण्ड राज्य पोषण परिषद-

1.	मा0 मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2.	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित दो उपाध्यक्ष	सदस्य
3.	मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	सदस्य-समन्वयक
4.	मा0 मंत्री जी, कृषि विभाग	सदस्य
5.	मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
6.	मा0 मंत्री जी, शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	मा0 मंत्री जी, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
8.	मा0 मंत्री जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
9.	मा0 मंत्री जी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	सदस्य
10.	मा0 मंत्री जी, श्रम विभाग	सदस्य
11.	मा0 मंत्री जी, शहरी विकास विभाग	सदस्य
12.	मा0 मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
13.	मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
14.	मा0 मंत्री जी, पेयजल विभाग	सदस्य
15.	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थाओं एवं एन0जी0ओ0 के पांच प्रतिनिधि	सदस्य
16.	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के पांच विशेषज्ञ	सदस्य

2. अन्तर्विभागीय समन्वय समिति-

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/समाज कल्याण आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य


9.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
17.	निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।	सदस्य-समन्वयक

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या: 2420 (1) / XVII(2)/2010 / तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त सम्बन्धित मा0 मंत्रीगण।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव/अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख सचिव/समाज कल्याण आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव